आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
3.7.14	**<u>प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल</u>** **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 268/13–14** **रामलखन दास वनाम् सुनील राम एवं अन्य** **<u>आदेश</u>** आवेदक रामलखन दास पिता स्व० मनुदास ग्राम–कसौटी, टोला चमर बिगहा,पोस्ट–वम्बई, थाना–करपी, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर दखल कब्जा दिलाने एवं अधिकारों का प्रख्यापन करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा कसौटी टोला चमर विगहा, थाना नं० 179, थाना करपी, जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–	

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
251	206	09 डी०	उतरः–हरी चमार दक्षिणः–रामरूप गोप पूरबः–कुँवर चमार पश्चिमः–जैन यादव

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से सर्व प्रथम डाक द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त अनुसेवी के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया और नोटिस तामिला को संपुष्ट किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए विपक्षी को प्रत्युतर एवं डोकोमेनस दाखिल करने हेतु मौका दिया गया लेकिन विपक्षी अनुपस्थित रहे और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि आवेदक को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 24.09.91 को रामजी पाण्डे पिता राधा पाण्डे खरीदगी भूमि है,जिसका डिमाण्ड वादी के नाम से कायम है,तथा राजस्व का भुगतान की जा रही है।

(2) विवादित भूमि पर विपक्षी द्वारा दिनांक 25.11.13 को दावा करनें की एवं विवाद उत्पन्न करने लगें।

(3) प्रश्नगत् भूमि के संबंध में पंचायती भी हुई थी,उस पंचायती मे कागज की मॉग की गई थी लेकिन विपक्षी के द्वारा अपने दावा के समर्थन में न तो कोई कागजात दिखाये और ना ही हमारे कागजात को मानने को तैयार है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगी गयी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक को विवादित भूमि केवाला से खरीदगी भूमि है। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अनुपस्थित रहे। अतः विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन किया जाता है। साथ ही प्राधिकार अंचल अधिकारी करपी को आदेश देती है कि वे एक माह के बाद विवादित भूमि का नापी कराकर आवेदक को कब्जा सौपें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

3.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

3.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।